



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072022-237097  
CG-DL-E-05072022-237097

असाधारण

**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 479]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2022/ आषाढ 14, 1944

No. 479]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2022/ASHADHA 14, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2022

सं. 10/2022-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 513(अ).— आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 44 के पहले परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2021-2022 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करता है।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th July, 2022

**No. 10/2022—Central Tax**

**G.S.R. 513(E).**—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2021-22 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

[F. No. CBIC-20001/2/2022-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2022

**सं. 11/2022-केन्द्रीय कर**

**सा.का.नि. 514(अ).**— सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2019 – केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल 2019 जो संख्याक सा.का.नि 322 (अ) तारीख 23 अप्रैल 2019 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के दूसरे पैरा में, चौथे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परन्तु यह और कि उक्त व्यक्ति 30 जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए स्वानिधारित कर के संदाय के व्यौरों के विवरण को केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के प्ररूप जीएसटी सीएमपी -08 में 31 जुलाई 2022 तक प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना संख्या 21/2019 केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल 2019 संख्याक सा.का.नि 322 (अ) तारीख 23 अप्रैल 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 25/2021 केन्द्रीय कर तारीख 1 जून 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, संख्याक सा.का.नि. 369 (अ) तारीख 1 जून 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th July, 2022

**No. 11/2022—Central Tax**

**G.S.R. 514(E).**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2019-Central Tax, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019, namely:-

In the said notification, in the second paragraph, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided also that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the quarter ending 30th June, 2022 till the 31st day of July, 2022.”.

[F. No. CBIC-20001/2/2022-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 21/2019-Central Tax, dated 23rd April, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019 and was last amended, vide notification number 25/2021 – Central Tax, dated the 1st June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 369 (E), dated the 1st June, 2021.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2022

सं. 12/2022-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 515(अ).**— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 73/2017 केन्द्रीय कर, तारीख 29 दिसम्बर 2017 संख्याक 1600(अ) तारीख 29 दिसम्बर 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, छठे परन्तुक में “30 जून 2022” अंको, अक्षरों और शब्दों के स्थानपर “28 जुलाई 2022” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना संख्या 73/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 29 दिसम्बर 2017 संख्याक सा.का.नि 1600 (अ) तारीख 29 दिसम्बर 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 07/2022- केन्द्रीय कर तारीख 26 मई 2022 द्वारा संशोधित की गई थी, संख्याक सा.का.नि. 397 (अ) तारीख 26 मई 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2022

**No. 12/2022–Central Tax**

**G.S.R. 515(E).**— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 73/2017–Central Tax, dated the 29th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017, namely: –

In the said notification, in the sixth proviso, for the figures, letters and words “30th day of June, 2022”, the figures, letters and words “28th day of July, 2022” shall be substituted.

[F. No. CBIC-20001/2/2022-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 73/2017-Central Tax, dated the 29th December, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017 and was last amended, vide notification number 07/2022 – Central Tax, dated the 26th May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 397 (E), dated the 26th May, 2022.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2022

सं. 13/2022-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 516(अ).**—सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं०35/2020 केन्द्रीय कर तारीख 3 अप्रैल 2020 जो संख्याक सा.का.नि. 235 (अ) तारीख 3 अप्रैल 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं०14/2021, केन्द्रीय कर तारीख 1 मई 2021 जो संख्याक सा.का.नि. 310(अ) तारीख 1 मई 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी का आंशिक उपांतरण करते हुए,-

- (i) संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त कर या गलत रूप से लाभ उठाए गए या उपयोग किए गए प्रत्यय इनपुट की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए कर की अवधि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा का 30 सितम्बर, 2023 तक विस्तार करती है ;
- (ii) गलत प्रतिदाय की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन परिसीमा अवधि की संगणना के लिए 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करती है ।
- (iii) उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च 2020 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2022

**No. 13/2022—Central Tax**

**G.S.R. 516(E).**— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and in partial modification of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 235(E), dated the 3rd April, 2020 and No. 14/2021-Central Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 310(E), dated the 1st May, 2021, the Government, on the recommendations of the Council, hereby,-

- (i) extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized, in respect of a tax period for the financial year 2017-18, up to the 30th day of September, 2023;

- (ii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation under sub-section (10) of section 73 of the said Act for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of erroneous refund;
- (iii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation for filing refund application under section 54 or section 55 of the said Act.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of March, 2020.

[F. No. CBIC-20001/2/2022-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2022

सं. 14/2022-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 517(अ).**—केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (संशोधन) नियम, 2022 है।**

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 21क में, उपनियम (4) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (2क) के अधीन निलंबित किया गया है और रजिस्ट्रीकरण, नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा पहले से ही रद्द नहीं किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण का निलंबन सभी लंबित विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने पर वापस लिया गया समझा जाएगा;”;

3. उक्त नियम में, नियम 43 के स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(घ) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1284 (अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 35/2017 केंद्रीय कर (दर) में विनिर्दिष्ट शुल्क प्रत्यय पावती पत्र के प्रदाय का मूल्य;”;

4. उक्त नियम में, नियम 46 में, खंड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ध) नीचे दी गई एक घोषणा कि, उन सभी मामलों में, जहां ऐसे करदाता, जिसका 2017-18 से आगे किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, नियम 48 के उप नियम (4) के अधीन यथा अधिसूचित समग्र आवर्त से अधिक समग्र आवर्त है, के द्वारा नियम 48 के उक्त उप नियम (4) के अधीन इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न रीति में बीजक जारी किया गया है, वहां नियम 48 के उक्त उप नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में बीजक जारी किया जाना आवश्यक नहीं है।

“मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि यद्यपि 2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में हमारा कुल कारोबार नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत अधिसूचित कुल कारोबार से अधिक है, फिर भी हमें उक्त उपनियम के प्रावधानों के अनुसार बीजक तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।”;